Inspira-Journal of Commerce, Economics & Computer Science (JCECS)
ISSN : 2395-7069 (Print), General Impact Factor : 2.0546, Volume 03, No. 03, July-Sept., 2017, pp. 362-374

भारत में भारतीय बैंकों में बासल-3 पूंजी विनियमों का कार्यान्वयन-कैपिटल प्लानिंग

डॉ. दुष्यन्त देव राजपूत*

भूमिका

भारत में बासल समझौता अपनाया गया। बासल समझौता बासल समिति द्वारा बासल मानक निर्धारित किए गए हैं।बासल मानक बैंकिंग एवं वित्तीय संस्थाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप दृढ़ता के लिए है। भारत में अब तक बासल वन समझौता बासल-2 समझौता लागू किए गए हैं। भारत में बासल-3 समझौता लागू करने के लिए बैंकों को जो समय दिया गया है वह 31 मार्च 2019 है इस समझौते में बैंक को जो पूंजी लोन के रुप में या और कहीं निवेश के रूप में होती है उस पूंजी का कुछ प्रतिशत बैंक के पास है होना चाहिए जो बासल समझौते के तहत है बैंकों के सामने यह समस्या उत्पन्न में है कि जो पूंजी बासल समझौते के तहत बैंक के पास होनी चाहिए वह कैसे एकत्र की जाए उसमें बैंक को बहुत सी कठिनाइयों का सामना या समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है बासल दो मानकों को सन 2009 में भारतीय बैंकों में पूरा कर लिया था बासल समिति का कार्यालय स्विट्जरलैंड के बासल शहर में अंतर्राष्ट्रीय सेटलमेंट बैंक में स्थित है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बासल-3 मानक पूरा करने के लिए पर्याप्त समय है। इस मानक को पूरा करने के लिए बहुत सी बैंकों के सामने पूंजी की समस्या उत्पन्न होगी स्थिति अगर खराब होती है तो बहुत सी बैंकों को अपना अन्य बैंकों में भी विलय करना होगा या तो बहुत सी बैंक में पूंजी एकत्र ना करने के कारण बंद हो जाएगी। बासल-3 समझौता भविष्य में होने वाले विकास की ओर इंगित करता है बासल समझौते से बैंकों में नौकरियों के अवसर बढ़ जायेंगें।

* M.Com, MBA (HRM), Ph.d (Commerce), Village+Post- Muskara, Hamirpur, U.P., India.

परिचय

बैंकिंग व वित्तीय संस्थाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप देने के लिए जो मानक निर्धारित किए गए हैं उन्हें 'बासेल मानक' कहा जाता है। इन मानकों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्रदान की गई है। चूंकि बासेल समिति का सचिवालय स्विट्जरलैंड के बासेल शहर में स्थित अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक में स्थित है,इसलिए इन्हें बासेल मानक कहा जाता है। 1974 में G10 देशों द्वारा 'बासेल समिति' का गठन किया गया था।अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक (Bank for International Settlement – BIS) का प्रधान कार्यालय स्विट्ज़रलैंड के बासेल शहर में स्थापित है। इसकी स्थापना 17मई 1930 में की गई थी। यह दुनिया का सबसे पुराना अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संगठन है जो अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक और वित्तीय सहयोग को बढ़ावा और केंद्रीय बैंकों के लिए एक बैंक के रूप में कार्य करता है। हांगकांग और मैक्सिको सिटी में इसके दो प्रतिनिधि कार्यालय हैं। दुनिया भर में इसके 60 सदस्य देश है।और यह दुनिया के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 95% कवर करता हैं।)।बासेल समिति ने 1988 में ऋण जोखिम (Credit Risk) के संदर्भ में बैंकों के लिए न्यूनतम पूंजी की जरूरत हेतु नियम दिए जिसे 'बासेल-1 मानक' कहा जाता है। बासेल-1 मानक पूर्णतः ऋण जोखिम पर केंद्रित था। जून, 2004 में पूंजी पर्याप्तता से संबंधित बासेल-2 मानकों का निर्धारण किया गया। बासेल-2 तीन श्रेणियों (3-Tier) वाली पूंजी संरचना की बात करता है।

दिसंबर, 2010 में बासेल-3 मानकों का निर्धारण किया गया। यह बैंकों की पूंजी पर्याप्तता अनुपात का नया अंतर्राष्ट्रीय मानक है। इसके अंतर्गत जोखिम कम करने के लिए बैंकों को ज्यादा पूंजी रखनी होगी। बासेल-3 मानकों को 1 जनवरी, 2013 से लेकर 31 मार्च, 2018 तक धीरे-धीरे लागू किया जाना था। लेकिन 27 मार्च, 2014 को भारतीय रिजर्व बैंक ने बासेल-3 मानकों को पूरी तरह लागू करने की समय-सीमा को बढ़ाकर 31 मार्च, 2019 कर दिया। इसके लिए बैंकों के पास 3.5 प्रतिशत की कॉमन इक्विटी, 4.5 प्रतिशत की श्रेणी-1 पूंजी तथा 8 प्रतिशत की CRAR(Capital to Risk Assets Ratio) की कुल पूंजी होनी चाहिए। इसीलिए भारत सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को पूँजी उपलब्ध करा रही है।

उद्देश्य

बीसीबीएस, (बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासेल समिति) द्वारा समझौते के सेट जो मुख्य रूप से बैंकों और वित्तीय प्रणाली के लिए जोखिम पर केंद्रित हैं, को बासेल

समझौते कहा जाता है। समझौते का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि दायित्वों को पूरा करने और अप्रत्याशित नुकसान को अवशोषित करने के लिए वित्तीय संस्थानों के अकाउंट में पर्याप्त पूंजी हो। भारत ने बैंकिंग प्रणाली के लिए बासेल समझौतों को स्वीकार कर लिया है।

भारत में बैंकिंग प्रणाली के लिए बासेल समझौते

अब तक भारत मेंतीन बासेल समझौते1, 2 और 3 अस्तित्व में आ चुके हैं।

बासेल-1

- भारत में बैंकिंग पर्यवेक्षण, बासेल समिति पूंजी माप प्रणाली बासेल (बीसीबीएस) पूंजी समझौता शुरू किया जिसे बासेल-1 के रूप में जाना जाता है। यह पूरी तरह से ऋण जोखिम और बैंकों के लिए जोखिम भार की संरचना पर केंद्रित है।
- न्यूनतम आवश्यक पूंजी को जोखिम भारित परिसम्पत्तियों %8 के (आरडब्ल्यूए) पर तय किया गया था।
- भारत ने 1999 में बासेल-1 दिशा निर्देशों को अपनाया।

बासेल-2

- जून, 2004 में पूंजी पर्याप्तता से सम्बंधित बासेल-2 मानकों का निर्धारण किया गया। बासेल-2 तीन श्रेणियों वाली पूंजी संरचना की बात करता है। जिन्हें बासेल-1 समझौते का परिष्कृत संस्करण माना जाता है।
- दिशा निर्देश निम्न मानकों पर आधारित थे-
  - बैंकों को जोखिम परिसम्पत्तियों की न्यूनतम पूंजी पर्याप्तता की आवश्यकता को बनाए रखना चाहिए।
  - जोखिम के तीन प्रकार परिचालन जोखिम, बाजार जोखिम, पूंजी जोखिम हैं।
  - बैंकों को उनके जोखिम निवेश सेंट्रल बैंक के साथ साझा करना अनिवार्य है।
- भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार 31 मार्च, 2009 तक सभी भारतीय बैंकों ने बासेल-2 के सभी अन्तर्राष्ट्रीय मानक पूरे कर लिए थे।

बासेल-3

- दिसम्बर, 2010 में बासेल-3 मानकों का निर्धारण किया गया। यह बैंकों की पूंजी पर्याप्तता अनुपात का नया अन्तर्राष्ट्रीय मानक है। इसके अन्तर्गत जोखिम कम करने के लिए बैंकों को ज्यादा पूंजी रखनी होगी, दिशा निर्देश जारी किए गए। ये दिशाऐं वित्तीय संकट के बाद पेश किए गए। 2008 निर्देश-वर्ष 2008 में लीमेन

ब्रदर्स सितम्बर में दिवालिया हो गई थी। ऐसे में बासल-2ढाँचे को मजबूत बनाना आवश्यक हो गया था।

- बासल-3मानदण्डोंका उद्देश्यबैंकिंग गतिविधियों जैसे उनके व्यापार बुक गतिविधियों को और अधिक पूंजी प्रधान बनाना है।
- दिशा निर्देशों का उद्देश्य चार महत्वपूर्ण बैंकिंग मानकों पूंजी, वित्त पोषण, लाभ और तरलता पर ध्यान केंद्रित करके एक अधिक लचीली बैंकिंग प्रणाली को बढ़ावा देना है।
- वर्तमान में भारतीय बैंकिंग प्रणाली बासल-2के मानदण्डों का पालन कर रही है।
- बासल-3 मानकों को 1 जनवरी, 2013 से लेकर 31 मार्च, 2018 तक धीरे-धीरे लागू किया जाना था। लेकिन 27 मार्च, 2014 को भारतीय रिजर्व बैंक ने बासल-3 मानकों को पूरी तरह लागू करने की समय-सीमा को बढ़ाकर 31 मार्च, 2019 कर दिया।
- इसके लिए बैंकों के पास 3.5 प्रतिशत की कॉमन इक्विटी, 4.5 प्रतिशत की श्रेणी-1 पूंजी तथा 8 प्रतिशत की CRAR(Capital to Risk Assets Ratio) की कुल पूंजी होनी चाहिए। इसीलिए भारत सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को पूँजी उपलब्ध करा रही है।

बैंक कैपिटल के प्रकार

Tier-1 पूंजी-सामान्य शेयर,प्रेफेंशियल शेयरवअधिकतम तरलता वाला शेयर (जिन्हें आसानी से बाज़ार में बेचा जा सके) आदि।

Tier-2 पूंजी-बाण्ड्स (Debts), डिबेंचर जिन्हें आसानी से कैश में बदला जा सकता है आदि।

(3-Tier) पूंजी

(3-Tier) पूंजी संरचना की बात करता है, जिसमें श्रेणी-1 पूंजी सर्वाधिक स्थायी तथा अनपेक्षित हानियों के विरुद्ध तत्काल सहायता के रूप में उपलब्ध होती है। इसको 'कोर कैपिटल' कहा जाता है, जिसके अन्तर्गत साधिधिक संचित निधियां, शेयरों पर प्राप्त प्रीमियम, आस्तियों की बिक्री से प्राप्त पूंजी तथा प्रारक्षित निधियां आदि होती हैं। द्वितीय श्रेणी की पूंजी के अन्तर्गत घोषित न की गई संचित निधियां तथा हाइब्रिड ऋण पूंजी प्रपत्र आदि होता है। बासल-2में दी गई श्रेणी–3 पूंजी के अन्तर्गत अल्पकालीन अधीनस्थ ऋण रखा जाता है। श्रेणी–3 पूंजी का उद्देश्य बाजार जोखिम की पूंजी

आवश्यकता का कुछ भाग को पूरा करना है। पूंजी पर्याप्तता मानक निर्धारण के संदर्भ में यह ध्यान रखा जाता है कि श्रेणी–2 की पूंजी किसी भी दशा में किसी भी समय श्रेणी–1 का 100 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए तथा अधीनस्थ ऋण इंस्ट्रूमेंट्स श्रेणी–2 पूंजी का 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार 31 मार्च, 2009 तक सभी भारतीय बैंकों के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मानक बासल-2के सभी मानक पूरे कर लिए गए हैं।

बासल-3का कार्य

बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासल समिति के अनुसार, " बासल-3सुधार उपायों का एक व्यापक सेट है जिसे बासलसमिति ने बैंकिंग क्षेत्र में विनियमन, पर्यवेक्षण और जोखिम प्रबंधन को मजबूत बनाने के लिए बैंकिंग पर्यवेक्षण पर तैयार किया है।"

इस प्रकार, हम कह सकते हैं कि बासल-3 बासल समिति द्वारा बासल-1 और बासल-2के तहत बैंकिंग नियामक रूपरेखा में सुधार हेतु बैंकिंग पर्यवेक्षक पर शुरु किए गए प्रयासों का अगला कदम है।यह नवीनतम समझौता वित्तीय एवं आर्थिक तनाव से निपटने में बैंकिंग क्षेत्र की क्षमता और जोखिम प्रबंधन में सुधार एवं बैंक की पारदर्शिता को मजबूत बनाना चाहता है।

बासल-3 उपायों का उद्देश्य

1. वित्तीय और आर्थिक अस्थिरता से पैदा हुए उतार– चढ़ाव से निपटने में बैंकिंग क्षेत्र की क्षमता में सुधार लाना।
2. जोखिम प्रबंधन क्षमता और बैंकिंग क्षेत्र के प्रशासन में सुधार लाना।
3. बैंक की पारदर्शिता एवं खुलासे को मजबूत बनाना।
4. वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार आयोग (एफएसएलआरसी) की गैर-विधायी सिफारिशों का कार्यान्वयन।
5. निवेशकों को वित्तीय परिसंपत्तियों की समस्त श्रेणियों का एक सिंगल व्यू उपलब्ध कराने के लिए एक रिपोजिटरी स्थापित करने का मुद्दा।
6. बासल-3विनियमों और पर्यवेक्षीय पूँजीगत अपेक्षाओं को मद्देनजर रखते हुए अगले पाँच वर्षों में बैंकिंग क्षेत्र की पूंजीगत आवश्यकताएँ सुझाने के उपाय।
7. साथ ही, इसमें वित्तीय क्षेत्र के लिए एक कारगर समाधान तंत्र स्थापित करने के उपायों पर भी विचार किया।

इसलिए हम कह सकते हैं कि बेसल-3 दिशानिर्देश का लक्ष्य आर्थिक एवं वित्तीय तनाव की अवधि में बैंकों की क्षमता में सुधार लाना है क्योंकि नए दिशा–निर्देश बैंकिंग क्षेत्र में पूंजी एवं तरलता की पूर्व आवश्यकताओं के मुकाबले अधिक सख्त हैं।

बेसल-1 और बेसल-2 की तुलना में बेसल-3 में प्रमुख प्रस्तावित बदलाव

- <u>पूंजी की बेहतर गुणवत्ता:</u> बेसल-3 के प्रमुख तत्वों में से एक है, पूंजी की अधिक सख्त परिभाषा। पूंजी की बेहतर गुणवत्ता का अर्थ है नुकसान भरपाई की उच्च क्षमता। इसका अर्थ है बैंक तनाव की अवधि को सहन करने के लिए अधिक मजबूत बनेंगे।
- <u>पूंजी संरक्षण बफर (Capital Conservation Buffer):</u> बैंकों को 2.5% पूंजी संरक्षण बफर रखना होगा। बैंकों से संरक्षण बफर बनवाने का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बैंक, पूंजी की एक निर्धारित मात्रा अपने पास रखें ताकि वित्तीय और आर्थिक तनाव की अवधि में वे नुकसान की भरपाई में वे उसका इस्तेमाल कर सकें।
- <u>काउंटरसाइक्लिकल बफर (Countercyclical Buffer):</u> अच्छे समय में पूंजी जरूरतों में बढ़ोतरी करने और बुरे समय में उसमें कम करने के उद्देश्य से शामिल किया गया था। जरुरत से ज्यादा इस्तेमाल किए जाने पर बफर बैंकिंग गतिविधि को धीमा कर देगा और बुरे समय में उधार देने को बढ़ावा देगा। बफर 0% से 2.5% के बीच होगा। इसमें सामान्य इक्विटी या पूरी तरह से नुकसान की भरपाई करने वाली अन्य पूंजी होगी।
- <u>न्यूनतम सामान्य इक्विटी और टीयर-1 पूंजी आवश्यकताएं:</u> सामान्य इक्विटी के लिए न्यूनतम आवश्यकता, नुकसान की भरपाई करने वाली पूंजी का सर्वोच्च रूप, को बेसल-3 में कुल जोखिम– भारित परिसंपत्तियों का 2% से बढ़ाकर 4.5% कर दिया गया है। समग्र टीयर-1 पूंजी आवश्यकता, जिसमें न सिर्फ सामान्य इक्विटी होती है बल्कि अन्य योग्य वित्तीय उपकरण भी होते हैं, में भी बढ़ोतरी की जाएगी और वर्तमान न्यूनतम 4% से बढ़ाकर 6% कर दिया जाएगा। हालांकि न्यूनतम कुल पूंजी आवश्यकता वर्तमान 8% के स्तर पर बनी रहेगी, फिर भी आवश्यक कुल पूंजी को जब संरक्षण बफर के साथ मिलाया जाएगा तो यह बढ़कर 10.5% हो जाएगा।

- <u>लीवरज अनुपात:</u> 2008 क आर्थिक सकट की समीक्षा में पाया गया कि अतीत में हुए अनुभवों क आधार पर लगाए गए अनुमानों क मुकाबल कई परिसपत्तियों का मूल्य बहुत तजी स कम हुआ। इसलिए, अब बसल-3नियमों में सुरक्षा तत्र (safety net) क तौर पर Leverage Ratio को शामिल किया गया ह। Leverage Ratio पूजी और कुल परिसपत्ति (जोखिम क बगर) की मात्रा की सापक्ष मात्रा ह। इसका उद्देश्य वधिक आधार पर बैंकिग क्षत्र में नियत्रण स्थापित करना ह। जनवरी 2018 में अनिवार्य Leverage Ratio लागू करन स पहल टीयर-1 क लिए 3% क Leverage Ratio का परीक्षण किया जाएगा।
- <u>तरलता अनुपात (Liquidty Ratios):</u>बसल-2क तहत, तरलता जोखिम प्रबधन क लिए रूपरखा बनाई जाएगी। नई तरलता कवरज अनुपात (LCR) और नत स्टबल फडिग रयो (NSFR)को क्रमशः 2015 और 2018 में लागू किया जाना ह।

प्रणालीबद्ध महत्वपूर्ण वित्तीय सस्थान (Systemically Important Financial Institutions- SIFI): माइक्रो- प्रूडेशियल रूपरखा क हिस्स क तौर पर, प्रणालीबद्ध महत्वपूर्ण बैंकों स बसल-3क पार नुकसान- भरपाई की क्षमता की उम्मीद की जाती ह। कार्यान्वयन क लिए विकल्पों में पूजी अधिभार, आकस्मिक पूजी और जमानत- ऋण शामिल ह।

<u>भारत में बसल-3 पूजी विनियमों का कार्यान्वयन - कपिटल प्लानिग:</u>

- बसल-3पूजी विनियम क कार्यान्वयन को दखत हुए, बैंकों को उनकी पूजी योजना प्रक्रियाओ में सुधार और मजबूत करन की जरूरत ह। पूजी नियोजन अभ्यास आयोजित करत समय, बैंक बदलत हुए मक्रोआर्थिक स्थितियों क सभावित - प्रभाव और नियामक पूजी की पर्याप्तता और सरचना पर आवधिक तनाव ।परीक्षणों क परिणामों पर विचार कर सकत हैं एक आग की तलाश वाली पूजी योजना प्रक्रिया बैंकों को मध्यम अवधि क दौरान अपन व्यापार रणनीतियों का समर्थन करन क लिए आवश्यक पूजी क स्तर का उचित रूप स मूल्याकन करन में सक्षम हो जायगी।
- बसल-3 दिशा निर्देशों क पूर्ण कार्यान्वयन क बाद क वर्षों की तुलना में प्रारभिक वर्षों क दौरान पूजी अपक्षाए काफी कम हो सकती हैं। तदनुसार, बैंकों को अपनी पूजी नियोजन व्यायाम करन क दौरान इस पहलू को ध्यान में रखना

चाहिए। बैंकों क□ बो□र्ों को पूञ्जी नियोजन प्रक्रिया में सक्रिय रूप स□ सञ्जग्न होना चाहिए और इसक□ कार्यान्वयन की निगरानी करना चाहिए।

- दञ्ष स□ उद्योग की व्यापक चिञ्ताओ□ को सम्पत्ति की गुणवत्ता पर बल दिया और बैंकों क□ प्रदर्शन लाभप्रदता पर असर पड़न□क□ बार□में व्यक्त किया गया ह□। / यह बञ्सल-3पूञ्जी विनियमों क□ पूर्ण कार्यान्वयन क□ लिए अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर सहमत समयरञ्खा क□ भीतर बैंकों को पूञ्जी जुटान□ क□ लिए कुछ प्रमुख समय की आवश्यकता हो सकती ह□। तदनुसार, भारत में बञ्सल-3पूञ्जी विनियमों क□ पूर्ण कार्यान्वयन क□ लिए सक्रमणकालीन अवधि 31 मार्च 2018 तक की बजाय 31 मार्च, 201 9 तक बढ़ाई गई ह□। यह भारत में बञ्सल-3क□ पूर्ण कार्यान्वयन को भी अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सहमत तारीख 1 जनवरी, 2019 ह□।
- उपर्युक्त क□ अलावा, दिशानिर्देशों क□ कुछ अन्य पहलुओ□ विशष रूप स□ गैर-इक्विटी पूञ्जी वाद्ययन्त्रों क□ हानि अवशोषण सुविधाओ□ स□ सम्बन्धित इस सम्बञ्ध में समीक्षा की गई ह□। माग्□गए स्पष्टीकरण क□ जवाब में
- इस परिपत्र में अनुबञ्ध में अन्य सञ्शोधनों क□ साथ सञ्शोधित सक्रमणकालीन व्यवस्थाए□उपलब्ध कराई गई हैं। य□दिशानिर्देश तत्काल प्रभाव स□लागू हो जात□ हैं। इसक□ अलावा, इन निर्देशों को बञ्सल-3पूञ्जी विनियमों क□ बाद क□ मास्टर परिपत्र में शामिल किया जाएगा।

1. बञ्सल-3 ट्राञ्जिशनल व्यवस्थाए□

- भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए बञ्सल-3 पूञ्जी विनियमों क□ सन्दर्भ में, क□पिटल सञ्रक्षण बफ़र को (सीसीबी)31 मार्च, 2015 स□चरणबद्ध चरणों में लागू किया जाएगा और 31 मार्च, 2018 को पूरी तरह कार्यान्वित किया जाएगा। निर्णय लिया कि सीसीबी का क्रियान्वयन 31 मार्च, 2016 तक शुरू होगा। परिणामस्वरूप, 31 मार्च 2019 को बञ्सल-3 पूञ्जी विनियमों का पूरी तरह स□ कार्यान्वित किया जाएगा। मास्टर परिपत्र क□ अनुच्छ□द 4.5 में निर्दिष्ट सक्रमणकालीन व्यवस्था इसलिए ह□ इसलिए <u>सञ्शोधित</u> क□ अन्तर्गत:

सक्रमणकालीन व्यवस्था- अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (एलएबी और आरआरबी को छोड़कर)							
							(आर□ब्ल्यूए क%)
न्यूनतम पूञ्जी अनुपात	**1 अप्रञ्, 2013**	**31 मार्च,2014**	**31 मार्च, 2015**	**31 मार्च, 2016**	**31 मार्च, 2017**	**31 मार्च, 2018**	**31 मार्च, 201 9**
न्यूनतम सामान्य इक्विटी टियर 1 (सीईटी 1)	4.5	5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5

पूंजी संरक्षण बफर (सीसीबी)	-	-	-	0.625	1.25	1.875	2.5
न्यूनतम सीईटी 1 + सीसीबी	4.5	5	5.5	6.125	6.75	7.375	8
न्यूनतम टीयर 1 पूंजी	6	6.5	7	7	7	7	7
न्यूनतम कुल पूंजी *	9	9	9	9	9	9	9
न्यूनतम कुल पूंजी + सीसीबी	9	9	9	9.625	10.25	10.875	11.5
सीईटी 1 (% में) संसभी कटौती की चरण में #	20	40	60	80	100	100	100
* न्यूनतम 9% की पूर्ण पूंजी आवश्यकता और टियर 1 आवश्यकता का बीच का अंतर पूरा किया जा सकता है टीयर 2 और पूंजी का उच्च रूपों का साथ; # समान बदलाव का तरीका अतिरिक्त टीयर 1 और टीयर 2 की राजधानी संकटौती पर लागू होगा।							

- इसका अतिरिक्त, मास्टर परिपत्र का अनुच्छेद 15.2 की तालिका 25 को निम्नानुसार संशोधित किया गया है।

तालिका 25: व्यक्तिगत बैंक का लिए न्यूनतम पूंजी संरक्षण मानकों

मौजूदा को शामिल करनेका बाद सामान्य इक्विटी टियर 1 अनुपात अवधि कमाई बनाए रखा			**न्यूनतम पूंजीगत संरक्षण अनुपात (आय का% का रूप में व्यक्त किया गया)**
एक पुत्र 31 मार्च, 2016	**एक पुत्र 31 मार्च, 2017**	**एक पुत्र 31 मार्च, 2018**	
5.5% - 5.65625%	5.5% -5.8125%	5.5% -5.96875%	100%
> 5.65625% - 5.8125%	> 5.8125% - 6.125%	> 5.96875% - 6.4375%	80%
> 5.8125% - 5.96875%	> 6.125% - 6.4375%	> 6.4375% - 6. 9 625%	60%
> 5.96875% - 6.125%	> 6.4375% - 6.75%	> 6.90625% - 7.375%	40%
> 6.125%	> 6.75%	> 7.375%	0%

2. गैर-इक्विटी कैपिटल इंस्ट्रूमेंट्स की हानि अवशोषण विशेषताएं

- अतिरिक्त टीयर 1 (एटी 1) पूंजीगत साधनों का लिए अन्य बातों का लिए मानदंडों की आवश्यकता होती है कि इन उपकरणों का माध्यम से)i) आम शेयरों में रूपांतरण या)ii) लिखने वाली एक तंत्र जिसका माध्यम से एक उद्देश्य का लिए उपकरणों को नुकसान आवंटित करता है।पूर्वनिर्दिष्ट ट्रिगर -निर्दिष्ट ट्रिगर बिंदुपूर्व- का (आरडब्ल्यूएएस) जोखिम भारित संपत्तियों6.125% का सामान्य इक्विटी स्तर 1 (सीईटी 1) पर सेट किया गया है। अब यह निर्णय लिया गया है कि 31 मार्च 2019 से पहले बेसल-3 का पूर्ण कार्यान्वयन से पहले सभी बेसल-3 का अनुरूप एटी 1 लिखतों का जारी किए गए दो पूर्वनिर्दिष्ट ट्रिगर्स होंगे।- आरडब्ल्यूए का 5.5% का सीईटी 1 पर प्री विनिर्दिष्ट ट्रिगर लागू होगा और-31 मार्च, 2019 से

पहल प्रभावी रहगा, जिसक बाद इस ट्रिगर को ऐस सभी उपकरणों क लिए 6.125% आरब्ल्यूएएस क सीईटी 1 में बढ़ाया जाएगा। 31 मार्च 2019 को या उसक बाद जारी किए गए एटी 1 क जरिए, कवल आरब्ल्यूएएस क 6.125% क सीईटी 1 पर पूर्वनिर्दिष्ट ट्रिगर किया जाएगा।-

- वर्तमान में, रूपान्तरण सुविधा क अलावा, एटी 1 कपिटल इन्स्ट्रूमेंट्स क लिए पूर्व-ाउन सुविधाओ दोनों को -अस्थायी और स्थायी लखन निर्दिष्ट ट्रिगर बिन्दु पर अनुमति दी गई ह। समीक्षा पर, यह निर्णय लिया गया ह कि बैंक एटी 1 पूजीगत साधनों को रूपान्तरण स्थायी लिखनवाली सुविधाओक साथ ही जारी / कर सकतहैं। इसी प्रकार, गरनट्रिगर पर लिख (पीओएनवी) व्यवहार्यता क बिन्दु-की सुविधा क सम्बन्ध में, सभी गरइक्विटी पूजीगत साधनों में कवल स्थायी -लखन सुविधा होगी, यहातक कि उन मामलों में जहाधन का कोई सार्वजनिक क्षत्र इजक्शन नही ह। इसक अलावा, यह स्पष्ट किया जाता ह कि इस परिपत्र की तारीख तक अस्थायी लखन थ जारीसुविधा क सा-बसल-3 सगत पूजी वाद्ययन्त्रों को पात्र नियामक पूजीगत साधनों क रूप में मान्यता प्राप्त रहगी।

3. कपिटल इन्स्ट्रूमेंट्स पर िविं / कूपन विवक

- 'वितरित वस्तुओ क सम्बन्ध में, यह स्पष्ट किया गया हकिआम शयरों और सतत गरपर लाभाश को चालू वर्ष क मुनाफ (पीएसपीएनसी) सचयी अधिमान शयरों-सही भुगतान किया जाएगा।
- 'वितरित वस्तुओ क सम्बन्ध में, यह स्पष्ट किया गया ह कि यदि चालू ऋण क लिए स्थायी ऋण साधन पर कूपनों का भुगतान होनकी सम्भावना ह (पीीआई), तो उनकी घोषणा उस हद तक समाप्त नही की जानी चाहिए। इसक अलावा, सतत ऋण उपकरणों पर कूपन बनाए रखा आय भार सभुगतान नहीकिया / जाना चाहिए। दूसर शब्दों में, कूपन क भुगतान को बनाए रखा आय भार / कम करनका असर नहीहोना चाहिए।

4. बैंक द्वारा लाभाश भुगतान

- वर्तमान में, बैंकों द्वारा लाभाश भुगतान 'बैंकों द्वारा लाभाश घोषित करन पर मई 04, 2005 क परिपत्र ीबीओी न। बीपी. बीसी.8.8 / 21.02.067 / 2004-05 क प्रावधानों द्वारा शासित ह। इसक अलावा, बसल-3 ढाच वितरण पर कुछ बाधाएालता ह। यदि (या बोनस का भुगतान यानी किसी भी रूप में लाभाश)

यानी पूंजी संरक्षण और काउंटरसाइकल) बैंकों की पूंजी स्तर पूंजी बफर फ्रेमवर्क बफर, आदि।।(यह स्पष्ट किया जाता है कि पूंजी बफर ढांचे का ढेर लग जाने के बाद, बैंकों द्वारा लाभांश भुगतान इन दोनों दिशानिर्देशों के संपर्क से नियंत्रित होगा।

- संयोग से उपरोक्त परिपत्र के 'बोर्ड उपेक्षा' पर पैरा 5 (टीके तहत बेसल द्वितीय (पूंजी आवश्यकताओं के संदर्भ भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लागू प्रचलित पूंजी पर्याप्तता ढांचे और भारत में परिचालितअनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए लागू होना चाहिए। ।

5. पूंजीगत उपकरण की वैकल्पिकता

बेसल-3 के अनुरूप पूंजीगत साधनों के विकल्प के संबंध में आवश्यक मानदंडों में से एक यह है कि एक बैंक को ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जो उम्मीद करता है कि कॉल का प्रयोग किया जाएगा। उदाहरण के लिए, उपकरण की ऐसी अपेक्षा को रोकने के लिए, जिसे लाभांश / कूपन रीसेट दिट कहा जाता है, को कॉल की तारीख के साथ सह-टर्म नहीं होना चाहिए। बैंक, अपने विवेक पर, लाभांश / कूपन रीसेट की तारीख और कॉल की तारीख के बीच एक उपयुक्त अंतराल पर विचार कर सकते हैं।

बेसल-3 मानदंड भारतीय बैंकों को निम्न प्रकार प्रभावित करेंगे

बेसल-3 जिसे समय– समय पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार भारत में बैंकों द्वारा कार्यान्वित किया जाना है, न सिर्फ बैंकों के लिए लेकिन भारत सरकार के लिए भी चुनौतीपूर्ण कार्य होगा। अनुमान के अनुसार भारत के बैंकों को आगामी नौ वर्षों या 2020 (संगठन के अनुसार अनुमान बदल जाएगा) तक बाहरी पूंजी को 6,00,000 करोड़ रुपयों करने की जरूरत होगी। इस हद तक पूंजी का विस्तार इन बैंकों खास कर निजी क्षेत्र के बैंकों की इक्विटि रिटर्न्स को प्रभावित करेगी. हालांकि, भारतीय बैंकों के लिए सिर्फ यही राहत की बात है कि ऐतिहासिक दृष्टि से उन्होंने न्यूनतम नियामक की पहुंच में अपने मूल और समग्र पूंजी तक पहुंच को बनाए रखा है।

बेसल-3 / BASEL III Norms के महत्वपूर्ण बिंदु

- RBI के आदेशानुसार, इसे मार्च 2018 से लागू किया जाना था,
- मगर भारतीय बैंक इतने कम समय में इतने पैसे का जुगाड़ करने में असक्षम दिखे,

- इसलिए RBI क गवर्नर रघु राम राजन न इसक लाइन को बढ़ा कर मार्च 2019 कर दिया,
- सरकारी बैंकों को भी आशा थी कि सरकार टक्स स मिलन वाल पसों स इन चीजों क लिए उन्हें पसा दगी,
- मगर वित्त मत्री अरुण जटली न इसका खन किया और 2014 क बजट में आदश दिया कि यदि इन सब कार्यों क लिए कपिटल रखना ह तो खुद जुगाड़ करना सीखो। पब्लिक में अपना शयर बचो या RBI स उधार लो।

बसल-3 की समस्या/निदा

- यह सब समस्या भारत में लाइ ही क्यों गई थी जब मैं पहल स ही रिजर्व बैंक ऑफ इडिया क पास इतन सार सीआरआर एसएलआर आदि ह अबबैंकोको हर 2 हफ्त में आरबीआई को अपनफाइनेंसियल स्टटस क बार में रिपोर्ट दनी पड़ती ह,
- यूनाइटड स्टट का ग्रट रिसशनफिर स ना हो इसलिए यूनाइटड स्टट में बसल लाया गया इसका मतलब यह नही कि भारत में भी ऐसी ही स्थिति उत्पन्न हो भारत की इकोनॉमी और निवश की इकोनॉमी अलग-अलग ह हमारा दश आर्थिक रूप स पिछड़ा ह इतन पस अपन पास रखन स अच्छा ह कि इन्हें गरीबों को लोन दन में प्रयोग किया जाना चाहिए,
- यदि भारत की बैंकों क पास जो पूजी ह उसका 10% ह स्थिर रहती ह और 90% पूजी सकल काम में प्रयोग की जाती ह तो उस 10% पूजी को रखन का क्या औचित्य ह पूजी का सिद्धात ह कि जितना अधिक रन परपूजीरहगी उतना ही अधिकविकास होगा पूजी की स्थिरता स उतना विकास रुक जाता ह जितनी पूजी स्थिर रहती ह,
- बैंकों क पास इतनी समस्या उत्पन्न हो जाएगी कि उन्हें अपनी बैंक हिस्सदारी तक को बचना पड़ सकता ह अगर उन्होंन मानक क अनुरूप पूजी नही दिखाई,
- अगर बैंकों में पर्याप्त पूजी एकत्र नही कर पाई जो स्थिर रखनी चाहिए तो हो सकता ह कि कुछ बैंकों को टूटना पड़ या किसी अन्य बैंक में अपना विलय करना प सकता ह।

परिशिष्ट (References):

1. Bank For International Sattlements,"Basel Committee on Banking Supervisions", http//www.bis.org/bcbs/Index/htm
2. Handbook of BASEL IIIcapital enhancing Bank capital in practice best John Ramirez printed in Great Britain by TJ International Ltd Padstow, Cornwall UK

3. BASEL III and beyond there's a guide to Banking Regulation after the crisis – Francesco Cannata Mario Qualiariello, Publisher- Risk Book 2011
4. Countercyclical Capital Buffers- Exploring options-_ Mathias Drehmann, publisher bank for international settlements monetary and Economics department 2010 Indiana University
5. BASEL IIIevaluation and impact in the Czech Republic-JakabGleta, Publisher-LAP Lambert Acad.Publ,2011
6. BASEL III, The devil and global banking- D. Chorafas-_ publisher Pal grave Macmillan UK 2011 2012
7. Tower of BASEL the inside story of the central bankers secret Bank Adam LeBor,_ publisher public affairs London.
8. A Course in BASEL II and BASEL III course workbook 2 December 2015 Jaffer Mohammed Ahmed_Publisher Kindle Edition.
9. Basil to leverage ratio basic concepts and brief analyse about Basil tree and leverage ratio-Giacomo Grade, Publisher Kindle Unlimited.
10. The theory and practice of treasury and risk management in banks DK Print world Publisher Taxmann Publications Pvt. Ltd.
11. Credit Risk Management RBI Oblique Basel to Implications- SK Bagchi
12. Reserve Bank of India Publications annual report on Trend and progress of Banking in India.
13. Operational Risk Toward Basel III: Best Practices and Issues in Modeling, Management, and Regulation,_ Greg N. Gregoriou, New York.
14. Online Internet Site http:// www.sbi.co.in
15. Magazine business India, Outlook Business, Business World Business Today etc
16. Newspapers the Hindustan Business Line, Economics Times of India, Business Line LKO, Business Standard, Financial Express LKO, The Pioneer LKO, Hindustan Times LKO, Indian Express.

❐❐❐